न्यायालय :– अंचल अधिकारी, डोमचांच

विविध वाद संख्या– 07/2016–17

प्रसंगः– सुखदेव यादव बनाम केवल मंडल

आदेश

23-11-2020

प्रस्तुत वाद में आवेदक सुखदेव यादव पिता–स्व0 झरी यादव ग्राम–काराखूट, थाना–डोमचाँच जिला–कोडरमा द्वारा मौजा–डोमचाँच, थाना नं0–68, हाल थाना–डोमचाँच, जिला–कोडरमा के अंतर्गत खाता संख्या–455, प्लॉट संख्या–4863, रकवा–1.28 एकड़ भूमि जो केवाला के माध्यम से खरीद किया गया है। उक्त भूमि पर फर्जी केवाला के आधार पर प्रतिपक्षी श्री केवल मंडल, पिता–स्व0 रामचन्द्र महतो साकिन–डोमचाँच, जिला–कोडरमा द्वारा रसीद कटाया गया है। आवेदक के अनुसार प्रतिवादी द्वारा उक्त खाता में गलत एवं अनुचित तरीके से रसीद कटाया गया है। आवेदक द्वारा रसीद का निर्गमन रोकते हुए पंजी II में जमाबंदी रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त मामले में राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि सुखदेव यादव एवं केवल मंडल के मध्य मौजा–डोमचाँच, थाना संख्या–68 के खाता संख्या–455, प्लॉट संख्या–4863, रकवा–1.28 एकड़ भूमि से संबंधित दोहरी जमाबंदी को लेकर आपसी विवाद है एवं इस विवाद को लेकर CJM कोडरमा के न्यायालय में वाद संख्या–81/16 के अंतर्गत केस चल रहा है।

चूँकि मामला भूमि विवाद से संबंधित है जो CJM कोडरमा के न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। ऐसी स्थिति में इस मामले में कोई आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतएव वाद की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित एवं संसोधित

23/11/020

अंचल अधिकारी,
डोमचांच।

23/11/020

अंचल अधिकारी,
डोमचांच।

Scanned by CamScanner